इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 254] भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 18 अगस्त 2023—श्रावण 27, शक 1945

वाणिज्यिक कर विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 18 अगस्त 2023

क्र. CT-3-0001-2023-Sec-1-पांच-(CT)(19).—मध्यप्रदेश हाई स्पीड डीजल उपकर अधिनियम, 2018 (क्रमांक 12 सन् 2018) की धारा 15 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश हाई स्पीड डीजल उपकर नियम, 2018 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:—

संशोधन

उक्त नियमों में,—

(1) नियम 2 में,—

(एक) उप-नियम (1) में, खण्ड (क) को खण्ड (ख) के रूप में पुनर्क्रमांकित किया जाए तथा इसके स्थान पर, एक नवीन खण्ड अन्त:स्थापित किया जाए, अर्थात्:—

"(क) "अधिनियम" से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश हाई स्पीड डीजल उपकर अधिनियम, 2018 (क्रमांक 12 सन् 2018);";

(दो) विद्यमान उप-नियम (1) के खण्ड (ख) का लोप किया जाए;

टीप.—ऊपर खण्ड (एक) तथा (दो) में उल्लिखित संशोधन उस तारीख से प्रवृत्त हुए समझे जाएंगे, जिसको कि मध्यप्रदेश हाई स्पीड डीजल उपकर अधिनियम, 2018 (क्रमांक 12 सन् 2018) प्रवृत्त हुआ था.

(2) सर्वत्र नियमों में, शब्द "अध्यादेश" जहां कहीं भी वह आया हो, के स्थान पर शब्द "अधिनियम" स्थापित किया जाए.

टीप.—ऊपर खण्ड (2) में उल्लिखित संशोधन उस तारीख से प्रवृत्त हुआ समझा जाएगा, जिसको कि मध्यप्रदेश हाई स्पीड डीजल उपकर अधिनियम, 2018 (क्रमांक 12 सन् 2018) प्रवृत्त हुआ था.

(3) नियम 4 के स्थान पर, निम्नलिखित नियम स्थापित किया जाए, अर्थात्:—

''4. **विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना.**—अधिनियम की धारा 3 के अधीन उपकर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यापारी, उपयुक्त वाणिज्यिक कर अधिकारी या इस निमित आयुक्त द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी को प्ररूप बी-2 में विवरणी प्रस्तुत करेगा. विवरणी, ऐसी विवरणी के अनुसार देय उपकर के भुगतान के सबूत चालान की एक प्रति के साथ होगी.''.

टीप.—ऊपर खण्ड (3) में उल्लिखित संशोधन इस अधिसूचना के ''मध्यप्रदेश राजपत्र'' में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. पी. श्रीवास्तव, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 18 अगस्त 2023

क्र. CT-3-0002-2023-Sec-1-पांच-(CT).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस आशय की अधिसूचना क्रमांक CT-3-0002-2023-Sec-1-पांच-(CT)(21), दिनांक 18 अगस्त 2023 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. पी. श्रीवास्तव, उपसचिव.

Bhopal, the 18th August 2023

No. CT-3-0001-2023-Sec-1-V-(CT)(19).—In exercise of the powers conferred by Section 15 of the Madhya Pradesh High Speed Diesel Upkar Adhiniyam, 2018 (No.12 of 2018), the State Government, hereby, makes the following amendments in the Madhya Pradesh High Speed Diesel Upkar Niyam, 2018, namely:—

AMENDMENTS

In the said rules,—

(1) In Rule 2,—

(i) in sub-rule (1), clause (a) shall be renumbered as clause (b) and in its place a new clause shall be inserted, namely:—

"(a) "Act" means the Madhya Pradesh High Speed Diesel Upkar Adhiniyam, 2018 (No. 12 of 2018);";

(ii) existing clause (b) of sub-rule (1) shall be omitted;

Note.—The amendments mentioned in clauses (i) and (ii) above shall be deemed to have come into force with effect from the date on which the Madhya Pradesh High Speed Diesel Upkar Adhiniyam, 2018 (No. 12 of 2018) came into force.

(2) In this rules, for the word "Adhyadesh" wherever it occurs, the word "Adhiniyam" shall be substituted.

Note.—The amendment mentioned in clause (2) above shall be deemed to have come into force with effect from the date on which the Madhya Pradesh High Speed Diesel Upkar Adhiniyam, 2018 (No. 12 of 2018) came into force.

(3) For Rule-4, the following rule shall be substituted, namely:—

"4. **Furnishing of Returns.**—Every registered dealer liable to pay cess under section 3 of the Act shall furnish a return in Form B-2 to the appropriate Commercial Tax Officer or any other officer authorized by the Commissioner in this behalf. The return shall be accompanied by a copy of challan in proof of payment of cess payable according to such return.".

Note.—The amendment mentioned in clause (3) above shall come into force with effect from the date of publication of this notification in the "Madhya Pradesh Gazette".

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
R. P. SHRIVASTAVA, Dy. Secy.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2023.